

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO.1-6(LT)-2021-INC


Dated:- 29 DEC 2021

Notification

Sub:-Admission to courses after 31st Dec, 2021.

Further to the INC notification No 1-6 (LT)-2021-INC dated 23.12.2021 regarding extension in the date of admission from **31st October, 2021 to 31st March, 2022** for the academic year 2021-22. Nursing institutions admitting students during the period of extension will have a delay of 3 (Three) to 6 (Six) months in commencement of this academic session. This will affect the completion of theory and clinical experience. Hence, if the minimum attendance in theory and practical as prescribed in INC syllabus is not met by a batch of students during the academic session, then the Nursing Institutions will consider this batch of students as a separate/irregular batch and complete their academics as per the INC prescribed syllabus within the academic year. The concerned Universities shall conduct the examinations of the separate/irregular batch accordingly.

Yours faithfully,


(K S Bharati)
Joint Secretary

Circulation

1. Vice Chancellor of All Universities
2. Registrar, All State Nursing Councils
3. Principal of All Schools/Colleges of Nursing
4. INC Website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

एफ.सं. 1-6/(एलटी)/2021-आईएनसी

दिनांक: 29 DEC 2021

अधिसूचना

विषय:- 31 दिसंबर, 2021 के बाद पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए प्रवेश की तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने के संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1-6 (एलटी)-2021-आईएनसी दिनांक 23.12.2021 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि आगे बढ़ाई गई अवधि के दौरान छात्रों को प्रवेश देने वाले नर्सिंग संस्थानों में इस शैक्षणिक सत्र के शुरू होने में 3 (तीन) से 6 (छः) माह की देरी होगी। इससे सैद्धांतिक तथा नैदानिक प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रभाव पड़ेगा। अतः, शैक्षणिक सत्र के दौरान यदि छात्रों के किसी एक बैच द्वारा आईएनसी पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं की जाती हैं, तो नर्सिंग संस्थान छात्रों के उस बैच को एक पृथक/अनियमित बैच के रूप में मानेंगे और उनका प्रशिक्षण आईएनसी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय/एसे पृथक/अनियमित बैच की परीक्षा तदनुसार अलग से आयोजित करेंगे।

भवदीया,



के.एस. भारती

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति
2. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
3. सभी नर्सिंग स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य
4. भारतीय उपचर्या परिषद् की वेबसाइट

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822